रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं०5] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 1998/पौष 25, 1919

No. 5] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 1998/PAUSA 25, 1919

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1998

सं०टी०ए०एम०पी०/1/97-जे०एन०पी०टी०.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963(1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण संलग्न आदेश में दिए गए कारणों की वजह से जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा दायर किए गए मामले सं० टी०ए०एम०पी०/1/97-जे०एन०पी०टी० में उठाई गई प्रारम्भिक आपत्तियों को एतद्द्वारा अस्वीकृत करता है।

आदेश

(26 दिसम्बर, 97 को पारित)

यह मामला बंबई कस्टम हाउस एजेंटस एसोशिएशन से प्राप्त इस अभ्यावेदन से संबंधित है कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा प्रचालित किए जाने के लिए एक नए अंतस्थ यार्ड की स्थापना के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने नई व्यवस्था के संबंध में इस आधार पर आपत्ति की है कि इससे निर्यातकों के लिए पर्याप्त खर्च बढेगा और नए प्रशुल्क को लागू करने के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण की पूर्व अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है।

2. अभ्यावेदन पर प्राधिकरण द्वारा प्राथमिक रूप से विचार किया गया। यह समझा गया कि महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के परामर्श के पश्चात् ऐसे मुद्दों को उसे पूर्व अनुमति के लिए भेजने की आशा की जाती है। इस मामले में यह प्रक्रिया अपनाई गई प्रतीत नहीं हुई । इस संबंध में प्राधिकरण ने यह जानना चाहा कि किन परिस्थितियों में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा ऐसे कार्य किया गया। और अगली कार्यवाही होने तक जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास को यह निदेश दिया गया कि इस निरस्त आदेश को स्थगित रखे।

3. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने प्राधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश का अनुपालन नहीं किया। उत्तर में उसने बताया कि नई आदेशित व्यवस्था से पत्तन के अंदर भीड़ को कम करने के लिए केवल एक नई सुविधा सृजित की गई है, किसी अधिसूचित प्रशुल्क को संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं किया गया है, कोई नया प्रशुल्क नहीं जोड़ा गया है, इसलिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र इस मामले में प्रभावी नहीं होगा और तदनुसार महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को कोई संदर्भ देना अनावश्यक समझा गया।

4. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के उत्तर पर प्राधिकरण द्वारा 26 दिसम्बर, 97 को पुन: विचार किया गया। जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के तर्क अस्वीकार्य पाए गए। इस तर्क में निम्नलिखित मुद्दे सामने आए:—

(i) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के लिए यह तर्क करना उचित नहीं था कि इस मामले में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अविवादित रूप से संदर्भाधीन भूमि जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास की है। इसे कुछ नए कार्य करने के लिए केन्द्रीय भांडागार निगम को पट्टे पर दिया गया है। महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को इस पट्टे के संदर्भ में नहीं बताया गया। इसलिए कानून का उल्लंघन हुआ।

(ii) यह संगत नहीं था कि क्या दर के मानों में किसी विद्यमान प्रविष्टि को संशोधित किया गया था अथवा नहीं अथवा क्या किसी नई प्रविष्टि को जोड़ा गया था। कोई (प्रशुल्क) मद जिसे कानूनी रूप से अवश्य ही प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में आना चाहिए, को इस आधार पर अलग कर दिया कि किसी कारणवश इसे किसी पत्तन न्यास द्वारा दरों के मान में लागू किया गया अथवा हटा दिया गया।

(iii) फिर भी किसी कारणवश जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास को "अधिकार क्षेत्र" के बारे में (यदि)कोई प्रारंम्भिक आपत्ति थी तो उन्हें इसे महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण की कार्यवाहियों को अनदेखा करने की बजाय उनको इसके मंच पर उठाना चाहिए था।

5. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणोंवश इस मामले में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के बारे मे जवाहर लाल नेहरू पत्तन पत्तन न्यास की प्रारंभिक आपत्ति और इस संदर्भ में उसके तर्क रद्द किए जाते हैं। पहले जारी किया गया स्थगन आदेश लागू रखा जाता है। जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास को स्थगन आदेश का अनुपालन करने का निदेश दिया जाता है और मामले पर सुचारू रूप से और शीघ्रता से निर्णय करने के लिए इस मामले की कार्यवाहियों में शामिल होने तथा इस प्राधिकरण की सहायता करने की सलाह दी जाती है।

एस० सत्यम्, अध्यक्ष

THE TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January,1998

No.TAMP/1/97-JNPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby reject the preliminary objection raised in case No. TAMP/1/97-JNPT by the Jawaharlal Nehru Port Trust for the reasons detailed in the order appended hereto.

ORDER

(Passed on this 26th December 97)

This case relates to a representation received from the Bombay Custom House Agents' Association that the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) has ordered establishment of a new Buffer Yard to be operated by the Central Warehousing Corporation (CWC). They had objected to the new arrangement on the grounds that it would entail substantial expenditure for the exporters and that prior approval of the Tariff Authority had not been obtained for introducing the new tariff.

2. This representation was preliminarily considered by the Authority. It was felt that after the constitution of the Tariff Authority for Major Ports (TAMP), such issues were expected to be referred to it for prior approval. This procedure did not appear to have been followed in this case. In the event, the Authority desired to know the circumstances in which this was done by the JNPT. And, pending further action, the JNPT was directed to keep in abeyance the impugned order.

3. The JNPT did not comply with the stay order passed by the Authority. In reply, it was stated that the new arrangement ordered had only created a new facility for easing congestion inside the port; no notified tariff had been revised or altered; no new tariff had been added; the TAMP's jurisdiction would not, therefore, be attracted in this case; and , any reference to the TAMP was accordingly considered unnecessary.

4. The reply of the JNPT was considered by the Authority again on 26 December 97 the JNPT's contentions were found unacceptable. The following points stood out in this connection.

(i) It was not correct for the JNPT to contend that the TAMP had no jurisdiction in this matter. Undisputed, the land in reference belonged to the JNPT. It had been leased out to the CWC for carrying out certain (new) activities. The TAMP had not been approached in the context of this lease. Therefore, there was a violation of law.

(ii) It was not relevant whether or not any existing entry in the Scale of Rates had been amended or whether any new entry had been added. No (Tariff) item that must legitimately come within the purview of the Authority could be excluded from its consideration on the ground that it had, for some reason, been excised or excluded from the Scale of Rates by any Port Trust.

(iii) Even if, for any reason, the JNPT had any preliminary objections (even) about 'jurisdiction', they ought properly to have raised them in the forum of the TAMP instead of ignoring its proceedings.

5. In the result, and for the reasons given above, the contentions in reference of the JNPT as also its preliminary objection about the TAMP's jurisdiction in the matter are rejected. The stay order issued earlier is reiterated. The JNPT is directed to comply with the stay order and advised to join the proceedings in this case to help this Authority to decide the case smoothly and swiftly.

S. SATHYAM, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998